भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4059
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले किसान

4059. श्री अनंत नायकः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले किसानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ओडिशा में पशुपालन करने वाले किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित किसानों की संख्या कितनी है तथा उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(घ) सरकार द्वारा ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन, व्यवसाय, मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का जनजातीय किसानों को पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई नई योजना लाने का विचार है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) पशुपालन में लगे किसानों संबंधी आंकड़े सृजित नहीं करता है। हालांकि, 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार, देश में जनजातीय क्षेत्र सहित लगभग 10.08 करोड़ परिवार हैं जिनके पास कम से कम एक पशु है। ओडिशा राज्य में यह संख्या 36.18 लाख है। राज्य-वार जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) पशुपालन और मत्स्यपालन योजनाओं के तहत किसानों और लाभों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) और (ड.) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में दूध उत्पादन और पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), डेयरी विकास (डीडी), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की हैं, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। इन योजनाओं का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

******

अनुबंध–I

श्री अनंत नायक द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले किसान' के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर देने के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4059 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पशु रखने वाले परिवार/पारिवारिक उद्यम
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27,390
2	आंध्र प्रदेश	30,84,618
3	अरुणाचल प्रदेश	97,957
4	असम	33,79,725
5	बिहार	1,07,17,471
6	चंडीगढ़	11,219
7	छत्तीसगढ	26,20,880
8	दादरा और नगर हवेली	16,769
9	दमन और दीव	907
10	दिल्ली	1,28,787
11	गोवा	76,736
12	गुजरात	40,05,526
13	हरियाणा	17,13,202
14	हिमाचल प्रदेश	9,83,298
15	जम्मू और कश्मीर	11,98,876
16	झारखंड	37,54,293
17	कर्नाटक	39,52,934
18	केरल	12,82,709
19	लक्षद्वीप	6,511
20	मध्य प्रदेश	79,11,898
21	महाराष्ट्र	61,03,760
22	मणिपुर	2,28,494
23	मेघालय	2,83,383
24	मिजोरम	1,14,386
25	नागालैंड	2,13,094
26	ओडिशा	36,18,406
27	पुदुचेरी	32,449
28	पंजाब	17,07,104
29	राजस्थान	83,35,106
30	सिक्किम	72,905
31	तमिलनाडु	42,08,893
32	तेलंगाना	20,80,876
33	त्रिपुरा	3,89,736
34	उत्तर प्रदेश	1,85,18,516
35	उत्तराखंड	9,63,067
36	पश्चिम बंगाल	89,64,276
	कुल	**10,08,06,157**

अनुबंध–II

श्री अनंत नायक द्वारा 'जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले किसान' के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर देने के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4059 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पशुपालन और मत्स्यपालन की योजनाओं के तहत किसानों और लाभ का विवरण:

I. पशुपालन:

ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में पशु रखने वाले परिवारों की संख्या 12,89,593 है। और उनमें से -

i. वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक 16281 जनजातीय किसानों को पोल्ट्री विकास योजनाओं में 606.47 लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ मिला है।
ii. वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक छोटे पैमाने पर बकरी और सुअर पालन में 848.57 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने से 894 जनजातीय किसान लाभान्वित हुये हैं।
iii. वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक डेयरी विकास योजना में 837.90 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त करने से 1818 जनजातीय किसान लाभान्वित हुये हैं।

ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में दूध उत्पादन और पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं –

ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में दूध उत्पादन और पोल्ट्री व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्य क्षेत्र की योजनाओं को लागू किया है जैसे कि

(क) मुख्यमंत्री कामधेनु योजना (एमकेवाई)
i. भैंस उद्यमिता विकास
ii. मुख्यमंत्री गो पालन योजना
iii. मुख्यमंत्री गोसंपद बीमा योजना
iv. ओएमएफईडी को समर्थन डीसीएस के डेयरी किसानों को प्रोत्साहन
v. दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन
vi. बछिया पालन योजना के साथ-साथ चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजना "आरजीएम के तहत राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी)" का कार्यान्वयन

(ख) पोल्ट्री क्षेत्र: राज्य सरकार द्वारा "प्राणी संपदा समृद्धि योजना" के तहत पोल्ट्री विकास कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, ओडिशा खनिज क्षेत्र विकास निगम (ओएमबीएडीसी) के तहत विभिन्न योजनाएं जैसे 200 पक्षियों की क्षमता वाली ब्रॉयलर फार्मिंग, फीड मिल, चूजा पालन इकाई, छोटे पैमाने की हैचरी की स्थापना ओडिशा के 7 ओएमबीएडीसी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। विशेष रूप से 12 कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) के 20,000 व्यक्तिगत सदस्यों को 28 दिन की आयु वाले 40 देशी चूजों की आपूर्ति करके ग्रामीण घरेलू पोल्ट्री के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

II. मत्स्यपालन विभाग

लाभार्थी उन्मुख कार्यकलापों के तहत; पिछले पांच वर्षों में वर्ष 2020-21 से आज तक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत ओडिशा के जनजातीय किसानों को सब्सिडी सहायता के रूप में 500.00 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। जिसमें से 300.00 लाख रुपये केंद्रीय हिस्सेदारी है और 200.00 लाख रुपये राज्य की हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की कल्याणकारी योजनाओं के तहत सभी जाति श्रेणियों से संबंधित कुल 11,31,857 मछुआरे पंजीकृत हैं।

ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों सहित ओडिशा में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

ओडिशा, ओडिशा राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना - पीएमएमएसवाई) लागू कर रहा है। राज्य में 22 प्रमुख योजना घटक लागू किए गए हैं।

1. नए अंतर्देशीय ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण
2. खारे पानी के जलकृषि के लिए नए तालाबों और इनपुट का निर्माण
3. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के अधिग्रहण के लिए पारंपरिक मछुआरों को वित्तीय सहायता
4. रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, आइस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल और आइस बॉक्स के साथ ऑटो-रिक्शा
5. नए मत्स्यपालन तालाबों का निर्माण
6. मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता
7. नए कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण
8. मौजूदा कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए दिशा-निर्देश
9. मिनी मत्स्य आहार मिल्स की स्थापना
10. अत्याधुनिक मत्स्य आहार प्लांट की स्थापना
11. एक्वेरियम/सजावटी मछली के कियोस्क सहित मछली कियोस्क का निर्माण
12. पारंपरिक मछुआरों के लिए नाव (प्रतिस्थापन) और जाल उपलब्ध कराना
13. आवश्यकता आधारित नई खारे पानी की हैचरी (शेल फिश और फिन फिश) की स्थापना
14. नई मीठे पानी की फिनफिश हैचरी की स्थापना
15. निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा मछली पकड़ने वाले जहाजों का उन्नयन
16. सजावटी मछली/एक्वेरियम बाजारों सहित आधुनिक मछली खुदरा बाजार का निर्माण
17. जलाशयों में पिंजरों की स्थापना
18. मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों में बायो-शौचालय की स्थापना
19. रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण मोबाइल लैब/क्लिनिक की स्थापना
20. रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना
21. प्रौद्योगिकी इंफ्यूजन और अनुकूलन के तहत पुनः संचारी जलीय कृषि प्रणाली (आरएएस) की स्थापना
22. प्रौद्योगिकी इंफ्यूजन और अनुकूलन के तहत बायो-फ्लोक कल्चर प्रणाली की स्थापना

पीएमएमएसवाई के इन घटकों को ओडिशा के अंतर्देशीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मछली उत्पादन में वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। राज्य जलाशय मत्स्यपालन नीति- 2012 और ओडिशा राज्य मत्स्यपालन नीति- 2015 के माध्यम से, ओडिशा सरकार और मत्स्यपालन और पशु संसाधन विकास (एफएंडएआरडी) जलाशयों में खुले पानी में पिंजरा पालन सहित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि को सफलतापूर्वक बढ़ावा दे रहा है। जलाशयों में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रकार स्थानीय मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए, एफएंडएआरडी विभाग, ओडिशा सरकार प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसीएस) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण कर रही है, इससे मछुआरों की आय के स्तर में और राज्य के मत्स्यपालन बास्केट बड़ा अंतर आता है।

****

अनुबंध–III

<u>श्री अनंत नायक द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में पशुपालन करने वाले किसान' के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर देने के लिए पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4059 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध</u>

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम), डेयरी विकास (डीडी) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) की योजनाओं का विवरण

I. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):

भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 से 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)' नामक एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्संरेखित किया गया है और इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अंब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना को दिनांक 21 फरवरी, 2024 को पुनः संशोधित किया गया, जिसमें बंजर भूमि/रेंज भूमि/अवक्रमित वन भूमि से चारा उत्पादन के साथ-साथ ऊंट, घोड़े और गधे की नस्ल-उन्नयन को शामिल किया गया है। इस योजना के तीन उप-मिशन हैं:

i. **पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन:** उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों को और नस्ल सुधार संबंधी अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर तीव्र ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन, ऊंट, घोड़े, गधे की इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को 50% सब्सिडी प्रदान करती है।
ii. **पशु आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन:** इस उप-मिशन का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता में सुधार करने के लिए चारा बीज श्रृंखला को सुदृढ़ करना, चारा ब्लॉक / हे बेलिंग/ साइलेज निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और बंजर भूमि / डिग्रेडेड भूमि से चारा उत्पादन करना है। ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए क्रमशः 250 रुपये प्रति किलोग्राम, 150 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
iii. **नवाचार और विस्तार संबंधी उप-मिशन:** उप-मिशन का उद्देश्य भेड़, बकरी, सुअर और आहार एवं चारा क्षेत्र, विस्तार कार्यकलापों, पशुधन बीमा और नवाचार से संबंधित अनुसंधान और विकास करने वाले संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों को प्रोत्साहित करना है। क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, पशुपालन और योजनाओं के लिए प्रचार कार्यकलापों सहित विस्तार सेवाओं, सेमिनार, सम्मेलन, प्रदर्शन कार्यकलापों और राज्य सरकार के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य आईईसी कार्यकलापों के लिए केंद्रीय एजेंसियों, आईसीएआर संस्थानों और विश्वविद्यालय फार्मों को सहायता प्रदान की जाती है।

ओडिशा में विस्तार और प्रशिक्षण, पशुधन बीमा और चारा विकास कार्यकलापों के लिए एनएलएम के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 150 लाख रुपये की मूल संस्वीकृति जारी की गई है।

II. डेयरी विकास:

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) का डेयरी प्रभाग दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए ओडिशा सहित देश में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को लागू कर रहा है:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
ii. डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

ये योजनाएं गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण तथा डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रही हैं। **ये योजनाएं लाभार्थी-उन्मुख योजना नहीं हैं।** हालांकि, राज्य दुग्ध परिसंघों/संघों/दुग्ध उत्पादक कंपनियों के माध्यम से दूध उत्पादकों/किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान किया गया है।

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) फरवरी-2014 से पूरे देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना लागू कर रहा है। जुलाई, 2021 में इस योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है, जिसके निम्नलिखित दो घटक हैं:

क. एनपीडीडी का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं हेतु अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

ख. एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

एनपीडीडी लाभार्थी-उन्मुख योजना नहीं है। हालांकि, राज्य दुग्ध परिसंघों/संघों के माध्यम से दूध उत्पादकों/किसानों को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया है।

एनपीडीडी योजना के घटक 'क' के तहत, किसानों को अच्छी स्वच्छता पद्धतियों/अच्छी विनिर्माण पद्धतियों आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' के तहत, किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन और अच्छी स्वच्छता पद्धतियों, दुधारू पशुओं के पालन, पशु आहार, हरा चारा और खनिज मिश्रण अपनाने आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

केंद्रीय क्षेत्र की योजना, डीआईडीएफ, आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा थी। इस योजना का परिव्यय 11,184 करोड़ रुपये था। इस योजना को सीसीईए ने दिनांक 12.09.2017 को अनुमोदित किया था और दिनांक 19.02.2020 को डीआईडीएफ के संशोधन को अनुमोदित किया था। इस योजना के तहत, राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों, बहु राज्य डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को वित्तीय सहायता (2.5% तक का ब्याज सबवेंशन) प्रदान की गई थी। दिनांक 01.02.2024 को, डीआईडीएफ को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) में शामिल कर लिया गया और अब परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

डीआईडीएफ प्रत्यक्ष किसान लाभार्थी-उन्मुख योजना नहीं है। इस योजना के अंतर्गत परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित कार्यकलापों के संबंध में ऋण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन प्रदान किया गया।

एनपीडीडी के तहत जारी की गईं निधियां:

ओडिशा राज्य को जारी निधियां	
वर्ष	**जारी की गईं निधियां (लाख रु. में)**
2019-20	804.88
2020-21	292.50
2021-22	747.12
2022-23	137.86
2023-24	706.10
2024-25	--
कुल	**2688.46**

III. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत, ओडिशा राज्य में अब तक जनजातीय किसानों सहित कुल 29.48 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर रहा है। ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आरजीएम के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और कार्यक्रम के तहत किसानों के द्वार पर निःशुल्क एआई सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
ii. 90% सटीकता के साथ सेक्स सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके बछियों का उत्पादन करने के लिए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और कार्यक्रम के तहत किसानों को सेक्स सॉर्टेड वीर्य की लागत का 50% तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है।
iii. आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और कार्यक्रम के तहत किसानों को 5000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भाधान के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है।
iv. किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना।
v. देशी नस्लों के उत्कृष्ट पशुओं की पहचान करने के लिए जीनोमिक चयन हेतु जीनोमिक चिप।
vi. देशी नस्लों सहित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम।
vii. वीर्य उत्पादन में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार प्राप्त करने के लिए वीर्य स्टेशनों को सुदृढ़ करना।

हालांकि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जनजातीय समुदाय के किसानों सहित सभी डेयरी किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और प्रजनन शिविर आयोजित किए जाते हैं।

पिछले पांच वर्षों में आरजीएम के तहत जारी निधियां (ओडिशा)

(लाख रु. में)

वर्ष 2020-21	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
जारी निधियां	**जारी निधियां**	**जारी निधियां**	**जारी निधियां**	**जारी निधियां**
--	3480.425	1374.25	--	1671.06

****